शोध सार

शिक्षा में आधी-आबादी की भागीदारी

एक कठिन डगर

प्रमोद

परिचय

एजुकेशन रिसोर्स यूनिट (ईआरयू), नई दिल्ली ने हाल ही में एक अध्ययन ''ए स्टडी ऑफ वूमन टीचर्स एण्ड अचीवमेंट ऑफ जेण्डर एण्ड इक्विटी गोल्स इन सैकण्डरी एजुकेशन'' (माध्यमिक शिक्षा में महिला शिक्षकों की स्थिति तथा लिंग व समता संबंधी लक्ष्यों की उपलब्धि : एक अध्ययन) शीर्षक से मैकआर्थर फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से किया है। इस अध्ययन का मकसद राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षकों की स्थिति तथा इसका लिंग व समता संबंधी लक्ष्यों की उपलब्धि पर पड़ने वाले असर को जानना था। चूंकि भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण किए जाने तथा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को लैंगिक व सामाजिक भेद-भाव से मुक्ति दिलाने की बात पर अक्सर ही शिक्षा नीति व विभिन्न कार्यक्रमों को बनाते वक्त बल दिया जाता रहा है। इस लिहाज से यह अध्ययन काफी महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

इस अध्ययन की रिपोर्ट में अध्ययन के उद्देश्यों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है-

- भारतीय और खासकर राजस्थान के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर महिला शिक्षकों की स्थिति को जानना।
- माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर महिला शिक्षक बनने व भागीदारी करने में आने वाली कठिनाइयों को जानना- खासकर विज्ञान, गणित व अन्य तकनीकी क्षेत्रों में।
- यह जानना कि लड़कियों- खासतौर पर वंचित समूहों की लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने व शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाने में महिला शिक्षकों की उपलब्धता का क्या असर पड़ता है।
- खुद माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना।

उक्त उद्देश्यों को पाने के लिए जिन मुद्दों का अध्ययन किया गया है वे कुछ इस प्रकार हैं-

- गरीब व समाज के वंचित समूहों की लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश पाने व उसे पूरी करने के लिए किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस पर ग्रामीण, शहरी इलाका होने व खुद की सामाजिक पहचान का क्या असर पड़ता है। साथ ही राजस्थान में लड़कियों के अनुकूल वातावरण वाले स्कूल के संभावित मानक क्या हो सकते हैं और महिला शिक्षकों की उपस्थिति इस पर किस प्रकार का असर डालती है।
- माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कौन-कौनसे कारक महिलाओं के शिक्षक बनने में रुकावट डालने वाले व सहायक बनने का काम करते हैं तथा वे विषय क्षेत्र के चुनाव पर कैसे असर डालते हैं।
- माध्यमिक स्तर पर और अधिक महिला शिक्षक बनें खासकर गणित व विज्ञान विषयों में, इसके लिए क्या रणनीतियां या वैकल्पिक तरीके कारगर हो सकते हैं?
- माध्यमिक शिक्षा को लैंगीकरण से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है?

इस अध्ययन के दौरान पहली बार ऐसा हुआ था कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे किसी अध्ययन के लिए आचार संबंधी कोई समिति (एथिक प्रोटोकोल एंड इंटरनल एथिक्स कमेटी) बनाई

लेखक परिचय

पिछले 17 वर्षों से शिक्षक प्रशिक्षण, सामग्री निर्माण एवं शोध कार्य से जुड़े रहे हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र सलाहकार की हैसियत से काम कर रहे हैं।

गई। हालांकि इस तरह की समितियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जाने वाले अध्ययनों के संदर्भ में अक्सर बनाई जाती हैं।

सैंपल चुनने के आधार एवं शोध पद्धति

यह एक गुणात्मक अध्ययन है। इसे करने के लिए राजस्थान के 3 जिलों- बारां, बाड़मेर व अजमेर के 6 खंडों (ब्लॉक्स) को सैंपल के तौर पर चुना गया था। सैंपल चुनाव के आधार इस प्रकार थे-

- ऐसे जिले जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व मुस्लिम आबादी की सघनता अधिक हो
- ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो
- कोई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हो
- माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर महिला शिक्षकों का प्रतिशत- राज्य के औसत से अधिक हो, राज्य के औसत के आस-पास हो, राज्य के औसत से कम हो

इन्हीं आधारों पर प्रत्येक जिले से दो खंडों का चयन किया गया। हर जिले में एक खंड जिला मुख्यालय के नजदीकतम चुना गया तो दूसरा जिला मुख्यालय से पर्याप्त दूरी वाला। अध्ययन के लिए तीनों जिलों के सभी 6 खंडों से कुल 6 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूल (4 लड़कियों के), 6 सरकारी व निजी स्नातक महाविद्यालय (3 लड़कियों के), 6 सरकारी व निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (1 लड़कियों का) चुने गए।

अध्ययन को करने के लिए उपलब्ध दस्तावेजों व आंकड़ों का अध्ययन करने के साथ ही कुछ टूल्स का उपयोग किया गया। मुख्य रूप से औपचारिक साक्षात्कार, अर्द्ध-औपचारिक साक्षात्कार व मुद्दा आधारित समूह चर्चा जैसे टूल्स काम में लिए गए।

शोध से प्राप्त निष्कर्ष

नामांकन, ड्रॉप-आउट एवं स्कूल की पहुंच

हम सकल नामांकन अनुपात पर निगाह डालते हैं तो पता चलता है कि शिक्षा के हर अगले पायदान पर बढ़ने के साथ-साथ न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राजस्थान में भी लैंगिक व सामाजिक खाई गहरी होती जाती है। प्राथमिक से उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ने के साथ-साथ बच्चों के पढ़ाई छोड़ने की दर (ड्रॉप आउट रेट) बढ़ती जाती है। 2010-11 के आंकड़ों के मुताबिक उच्च शिक्षा के स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में लड़कियों की संख्या में तेजी से गिरावट आती है और वह मात्र 14.9 रह जाती है। उच्च शिक्षा में सबसे कम सकल नामांकन अनुपात अनुसूचित जाति की लड़कियों का 8.9 व उससे थोड़ा ही अधिक अनुसूचिक जनजाति की लड़कियों का 10.3 है। इस पर चौंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान में वंचित समूहों से आने वाले छात्रों की उच्च शिक्षा में भागीदारी उनकी जनसंख्या में भागीदारी के अनुपात से भी कम है। यह विषमता केवल नामांकन के स्तर पर ही नहीं है बल्कि शिक्षकों व स्टाफ के स्तर पर भी नजर आती है। राजस्थान में माध्यमिक व उच्च शिक्षा के स्तर पर पुरुष शिक्षकों की बनिस्बत महिला शिक्षक बहुत कम हैं और वंचित समूहों के मामले में तो यह संख्या बेहद कम है। उदाहरण के लिए, उच्च शिक्षा में राजस्थान में लिंग सादृश्यता सूचकांक 0.72 राष्ट्रीय औसत 0.88 से कम है।

आरंभिक से माध्यमिक व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों के बीच का अनुपात हमारे सामने शिक्षा की पहुंच के सामने खड़ी चुनौती की तस्वीर खींच देता है। इस मामले में राजस्थान की स्थिति राष्ट्रीय औसत से नीचे व उसके आस-पास है। राजस्थान में आरंभिक व माध्यमिक स्कूलों का अनुपात 2.41 राष्ट्रीय औसत 2.67 से कम है तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों का अनुपात 2.90 राष्ट्रीय औसत 2.42 से थोड़ा ही बेहतर है। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किमी के दायरे में माध्यमिक स्कूलों की संख्या राष्ट्रीय औसत प्रति 100 वर्ग किमी में 4 स्कूल से भी कम है। देश के अन्य भागों की तरह ही राजस्थान में भी माध्यमिक शिक्षा को मजबूती देने की बात करना व उस पर बल देना हाल ही की नई घटना है।

राजस्थान में केवल दो प्रकार के स्कूल पाए जाते हैं। एक सरकारी व दूसरे निजी, जो किसी प्रकार की कोई सहायता सरकार से नहीं लेते। गरीब व वंचित समूहों के छात्रों के लिए शिक्षा का एक मात्र साधन ये सरकारी स्कूल ही हैं। इन तक लड़कियों की पहुंच और भी दूर की कौड़ी हो जाती है। उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए दो विकल्प होते हैं। एक, लड़कियों के लिए खोले गए स्कूल और दूसरा सह-शिक्षा वाले (लड़के-लड़कियों दोनों के लिए खोले गए) स्कूल जिन्हें 'लड़कों का स्कूल' कहकर संबोधित किया जाता है क्योंकि उनमें लड़कियों की भागीदारी बहुत कम होती है। लड़कियों के स्कूलों की संख्या लड़कों के स्कूलों की तुलना में बहुत कम होती है। उदाहरण के लिए, 2011-12 में राज्य में लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या मात्र 557 थी जबकि लड़कों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या 15150 थी। सैंपल जिलों में तो हालत और भी बदतर थी। उदाहरण के लिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीनों जिलों में सबसे बड़े बाड़मेर जिले में लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या केवल 5 थी।

विषय चुनाव की मजबूरी

लड़कियों के ज्यादातर स्कूलों में केवल कला संकाय के विषय पाए जाते हैं ऐसे में अगर लड़कियों को विज्ञान या वाणिज्य संकाय के विषय चुनना हो तो उनके पास लड़कों के स्कूल में दाखिला लेने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता और यहां आकर स्थिति और जटिल हो जाती है, खासकर पहली पीढ़ी की पढ़ने वाली लड़कियों के लिए। राजस्थान जैसे बेहद रूढ़ीवादी राज्य में वंचित समूहों के छात्रों और खासकर लड़कियों के लिए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की उपलब्धता केवल भौतिक दूरी से तय नहीं होती वहां सामाजिक दूरी भी काम करती है। इसका उदाहरण अजमेर की मुस्लिम लड़कियों के संदर्भ में देखने को मिलता है जहां माध्यमिक स्कूल की भौतिक दूरी ज्यादा नहीं है किन्तु वह स्कूल उनकी सामाजिक जद से बाहर पड़ता है जिसके चलते वे उसमें प्रवेश नहीं ले पातीं। इसी तरह से विज्ञान या वाणिज्य संकाय चुनने की इच्छुक बहुत-सी लड़कियां इसलिए अपनी इच्छा के विषय नहीं चुन पातीं क्योंकि लड़कियों के स्कूल में केवल कला संकाय के विषय होते हैं और लड़कों के स्कूल में उन्हें दाखिला दिलाया नहीं जाता। कई जगह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल लड़कों के स्कूल हैं। ऐसे में लड़कियों की पढ़ाई छूटने की संभावना काफी बढ़ जाती है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा के स्तर पर घटती लड़कियों की यह संख्या कम महिला शिक्षक उपलब्ध होने के परिणाम के रूप में सामने आती है जो गणित, विज्ञान व वाणिज्य जैसे विषयों के लिए तो बेहद कम हो जाती है और उसमें भी गरीब व वंचित समूह का प्रतिनिधित्व तो लगभग नगन्य हो जाता है।

अध्ययन बताता है कि स्कूलों के आधार पर विषयों का उक्त बंटवारा विषयों के लैंगीकरण को बढ़ावा देता है और गणित, विज्ञान और वाणिज्य जैसे विषय लड़कों के स्कूल के विषय बनते-बनते लड़कों के विषयों में तब्दील होते चले जाते हैं और कला संकाय के भाषा व समाज-विज्ञान जैसे विषय लड़कियों के विषयों में। राजस्थान के रूढ़ियों से घिरे समाज में सामाजिक मान्यताएं इस स्थिति को और प्रतिकूल बनाने का काम करती हैं। माता-पिता व अभिभावक अपनी बातचीत में यह स्वीकार करते हैं कि गणित व विज्ञान विषय कठिन होते हैं, लड़कियों का दिमाग इनमें नहीं चलता। इन विषयों के लिए अतिरिक्त ट्यूशन करवानी होती है जिसका मतलब होता है अतिरिक्त निवेश करना और लड़कियों पर अतिरिक्त निवेश करने के लिए वे अभी तैयार नहीं। किसी स्कूल में विज्ञान विषय खोलना प्रयोगशाला का अतिरिक्त खर्च जोड़ देता है और यह सरकार के लिए अतिरिक्त बजट जोड़ देता है। इसलिए सरकार भी स्कूलों में और खासकर लड़कियों के स्कूलों में केवल कला संकाय के विषय खोलकर ही लोगों के बीच उच्च माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाती रहती हैं। भविष्य में सरकार लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलने की बजाय केवल सह-शिक्षा वाले यानी लड़कों के स्कूल खोलने पर ही विचार कर रही है। सरकार का तर्क इसके पीछे मानसिकता में बदलाव लाने का है। वह इसके माध्यम से लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को हल करना चाहती है। सरकार के इस तर्क से सहमत हुआ जा सकता था अगर इस ओर बढ़ने से पहले की तैयारी कर ली गई होती। हो सकता है आरंभिक शिक्षा से इस संदर्भ में कुछ प्रेरणा मिली हो। आरंभिक शिक्षा के संदर्भ में पिछले दो दशकों में लैंगिक भेदभाव व समता के मुद्दे पर समुदाय, तंत्र, स्कूल, शिक्षक, बच्चों आदि के स्तर पर संवेदनशीलता विकसित करने के लिए जितने प्रयास किए

गए उनका माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर सर्वथा अभाव दिखता है। ऐसे में यह मान्यता कि सह-शिक्षा वाले स्कूल खोल देने से लैंगिक खाई कम हो जाएगी कुछ अतिरिक्त उम्मीद है।

ईआरयू कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड
दिल्ली

अध्यापक शिक्षा की स्थिति

माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक स्तर पर जो फासला नजर आता है, उच्च शिक्षा व शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान भी उसकी छाया से मुक्त नहीं हैं। राजस्थान में शिक्षक-प्रशिक्षण लगभग पूरी तरह से निजी हाथों में है। वर्तमान में 778 शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय (बीएड़ कॉलेज) हैं जिनमें से मात्र 5 सरकार द्वारा संचालित हैं। इनमें से एक-तिहाई महिलाओं के लिए हैं और शेष सह-शिक्षा वाले। सह-शिक्षा वाले इन संस्थानों में पुरुष, महिला प्रशिक्षणार्थियों का अनुपात 70:30 है। इनमें से अधिकांश शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय राज्य के 10 जिलों में केन्द्रित हैं और इन महाविद्यालयों में ज्यादातर छात्र कला/भाषा संकाय में अध्ययनरत हैं, केवल 20 प्रतिशत छात्र विज्ञान/गणित संकाय में हैं। ऐसे में विज्ञान/गणित के तैयार होने वाली महिला शिक्षिकाओं की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

उच्च शिक्षा भी अपना हाल कुछ ऐसा ही बयां करती नजर आती है। उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व मुस्लिम समुदाय के छात्रों की; खासतौर पर लड़कियों की भागीदारी लगभग नगन्य है। हालांकि राजस्थान (उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान व तमिलनाडु) देश के 6 उन राज्यों में से एक है जहां कॉलेजों की संख्या सबसे अधिक है। राजस्थान में 2652 कॉलेज हैं किन्तु इनमें से 21 प्रतिशत केवल जयपुर जिले में स्थित हैं। अधिकांश कॉलेज राज्य के 7 जिलों (सीकर, कोटा, अजमेर, दौसा, श्रीगंगानगर, जयपुर, झुंझुनू) में स्थित हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेजों का यह असमान वितरण राज्य के बाकी क्षेत्रों में छात्रों तक उच्च शिक्षा की पहुंच को सीमित कर देता है। ऐसे में गरीब व वंचित समूह की लड़कियों के लिए परिस्थिति और विकट हो जाती है। सैंपल में लिए जिलों में से एक बाड़मेर जिले में 2 स्नाकोत्तर महाविद्यालय हैं तथा 4 स्नातक महाविद्यालय (2 महिलाओं के लिए, 2 सह-शिक्षा वाले)। बाड़मेर जिले में दो शहरी कॉलेजों का सर्वे किया तो पाया कि पहले कॉलेज में 120 छात्रों में से 21 लड़कियां अनुसूचित जाति व 9 अनुसूचित जनजाति की थीं तथा दूसरे कॉलेज में नामांकित 98 छात्रों में से 9 लड़कियां अनुसूचित जाति व 1 अनुसूचित जनजाति की थीं। अजमेर के एक शहरी सह-शिक्षा वाले कॉलेज में कुल 85 छात्रों में से 25 लड़कियां थीं जिनमें केवल 5 अनुसूचित जाति व 2 अनुसूचित जनजाति की थीं। हालांकि अजमेर के एक ग्रामीण कॉलेज मे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की संख्या ज्यादा थी। यहां 33 अनुसूचित जाति व 16 अनुसूचित जनजाति की लड़कियां थीं। किन्तु ऐसा होने की एक वजह यह हो सकती है कि इस क्षेत्र में 'दूसरा दशक' जैसे स्वयं सेवी संगठन सालों से लड़कियों की शिक्षा को लेकर काम कर रहे हैं जिसके परिणाम आज सामने आते दिख रहे हैं। इससे माध्यमिक व उच्च शिक्षा मे किए जाने वाले प्रयासों की जरूरत और उभर कर सामने आ जाती है।

शिक्षा के हर अगले पायदान पर जिस तरह से लड़कियों की संख्या कम होती जाती है वैसा ही हाल महिला शिक्षकों की पदोन्नतियों में भी है। लड़कियों के स्कूल में तो स्कूल के शीर्ष नेतृत्व के पद जैसे प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापिका पर महिला ही होती है किन्तु सह-शिक्षा वाले स्कूलों में इन पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग नगन्य है। उदाहरण के लिए, अजमेर जिले में लड़कियों के स्कूलों में तो महिलाएं ही प्रधानाचार्य हैं किन्तु सह-शिक्षा वाले स्कूलों में वे केवल थर्ड ग्रेड टीचर या सीनियर टीचर ही हैं। सह-शिक्षा वाले किसी भी स्कूल में कोई महिला प्रधानाचार्य नहीं है।

लड़कियों को लेकर गहरे तक बैठा असुरक्षा बोध समाज में इतना ज्यादा है कि यह हर स्तर पर उनकी शिक्षा में बाधा बनता है। कुछ ऐसी योजनाएं व सरकारी मदद जो दूसरे राज्यों में लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने में कारगर सिद्ध हुईं लेकिन वे राजस्थान में सफल नहीं हो पाईं। उदाहरण के लिए, साइकिल वितरण। जहां बिहार में लडकियों को साइकिल देने की योजना ने उन्हें शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है वैसा राजस्थान में नहीं हुआ। राजस्थान में लड़कियों के लिए साइकिल चलाना अपने-आपमें सामाजिक स्तर पर नई चुनौती स्वीकारने जैसा रहा है। राजस्थान में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने जैसे प्रयासों को जरूर सफलता मिली है बशर्ते वे उनकी सुरक्षा की गारंटी देते हों।

आगे के लिए सुझाव

अध्ययन माध्यमिक व उच्च शिक्षा की गरीब व वंचित समूह के छात्रों खासकर लड़कियों तक पहुंच बनाने के लिए कुछ सुझाव देता है जो इस प्रकार हैं-

- माध्यमिक व उच्च शिक्षा के स्तर पर महिला शिक्षकों की कमी के मद्देनजर यह अध्ययन सुझाता है कि लड़कियों के स्कूलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तथा महिलाओं के बीएड़ कॉलेज और खोले जाने चाहिएं।
- गणित/विज्ञान शिक्षण में महिला शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन विषयों को पढ़ने वाली लड़कियों को अलग से सहायता-राशि व पढ़ाई में मदद उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। बीएड़ कॉलेजों में गणित/विज्ञान की सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
- समुदाय की मानसिकता बदलने के लिए समुदाय के साथ एक संवाद स्थापित करने की जरूरत है। इस काम को स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों को साथ जोड़कर किया जा सकता है। समुदाय को माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर मिलने वाली सहायताओं से अवगत कराने की जरूरत है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर किस तरह का कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध हो और उससे किस तरह का रोजगार मिल सकता है यह बताए जाने की जरूरत है।
- शिक्षा की पहुंच कोई इतना तटस्थ मुद्दा नहीं है। राजस्थान के परंपरावादी व रूढ़ीग्रस्त समाज के संदर्भ में पहुंच की चुनौति केवल भौतिक पहुंच बना देने मात्र से हल नहीं हो जाती। जब तक लड़कियों की सुरक्षा पर स्कूल के भीतर व स्कूल पहुंचने के रास्ते, दोनों जगह ध्यान नहीं जाता तब तक भौतिक रूप से कितना भी नजदीक होने पर भी शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पाती। इस संदर्भ में स्कूलों को लड़कियों के और अनुकूल बनाए जाने की जरूरत है। सह-शिक्षा वाले स्कूलों में महिला शिक्षकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की जरूरत है। लड़कियों के लिए आवासीय हॉस्टल खोलने व लड़कियों के स्कूलों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है, लड़कियों के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था करने की जरूरत है।
- अक्सर पहली पीढ़ी के छात्रों को पता नहीं होता कि उच्च माध्यमिक स्तर पर किस विषय को चुनने से आगे चलकर किस तरह के कैरियर व रोजगार मिलने की संभावना है। अतः उच्च माध्यमिक स्तर पर कैरियर कॉउन्सलिंग की जरूरत है ताकि किस विषय में किस तरह के कैरियर बनने की संभावना है यह छात्रों के सामने स्पष्ट हो सके और उस अनुसार वे विषय का चुनाव संबंधी निर्णय ले सकें।

उक्त सारी बातों के मद्देनजर यह अध्ययन महत्त्वपूर्ण है। एक गुणात्मक अध्ययन होने के नाते इस अध्ययन का सैंपल बहुत छोटा है। इस लिहाज से यह उस क्षेत्र विशेष के बारे में काफी विस्तार से बताता है किन्तु निष्कर्षों के सामान्यीकरण की समस्या के बावजूद माध्यमिक और उच्च शिक्षा की समस्याओं पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की भागीदारी और महिला शिक्षिकाओं की स्थिति के संदर्भ में शिक्षा के नीति निर्माताओं एवं क्रियान्वयन करने वालों के सामने बेहतर व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध करवाता है। ◆